



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 19 जुलाई, 1971

श्रावण 28, 1893 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 3006/सत्रह-170/67

दिनांक लखनऊ, 19 जुलाई, 1971

विज्ञापित

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) विधेयक, 1969 पर दिनांक 17 जुलाई, 1971 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1971 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञापित द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971

( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1971 )

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ।)

शासन के अन्तर्गत कुछ लामप्रद पदों में यह घोषित करने के लिए कि उन पर अभ्यासित व्यक्ति उन पदों के कारण राज्य विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे,

### अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 कहलाएगा।

संक्षिप्त नाम

2—जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

परिभाषाएं

(क) 'प्रतिकर भत्ता' का तात्पर्य किसी पदधारी को दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में इस प्रयोजन से देय धनराशि से है जिससे कि वह उक्त पद के कृत्यों का संपादन करने में अपने द्वारा किए गए व्यय की पूति कर सके, ऐसे भत्ते, दैनिक भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता की दशा में, न तो उन दरों से अधिक हों और न उन शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर ग्राह्य हों जो संविधान के अनुच्छेद 195 के अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोज्य हों :

(ख) 'परिनियत निकाय' का तात्पर्य किसी निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों के अन्य निकाय से है, चाहे वह निगमित हों या न हों, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित हों;

(ग) 'अपरिनियत निकाय' का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे निकाय से है जो परिनियत निकाय न हो;

(घ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

कुछ लाभप्रद पद  
अनर्ह न करेंगे

3—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई पद, जहां तक वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई लाभप्रद पद हो, उसके धारक को राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जाएगा, अर्थात् —

(क) संघ या राज्य के किसी राज्य मंत्री या उपमंत्री का पद अथवा किसी मंत्री के सभा सचिव का पद ;

ऐक्ट संख्या 31,  
1948

(ख) नेशनल केडेट कोर ऐक्ट, 1948 टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट, 1948 या रिजर्व ऐक्ट आर्जीलियरी एयर फोसज ऐक्ट, 1952 के अधीन संग्रहीत या अनुरक्षित किसी दल के किसी सदस्य का पद ;

ऐक्ट संख्या 56,  
1948

(ग) जब कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायु सेना या भारतीय नौ सेना या रक्षित दल के किसी अधिकारी का पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, या नागरिक सुरक्षा सेवा के किसी सदस्य का पद;

ऐक्ट संख्या 62,  
1952

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित होम गार्ड्स में कोई पद;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित किसी ग्राम सुरक्षा दल (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) में कोई पद ;

(च) किसी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट, सेनेट, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या कोट अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय के या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था की प्रबन्ध समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(छ) किसी विशेष प्रयोजन के लिये भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर भेजे गये किसी प्रतिनिधि मण्डल या शिष्ट मण्डल के सदस्य का पद ;

(ज) राज्य सरकार के नियोजन विभाग में राज्य मूल्यांकन सलाहकर परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद;

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 11,  
1966

(झ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में राज्य सरकार द्वारा नाम-निदिष्ट सदस्य अथवा सभापति का पद;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिचाई आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ड) लोक महत्व के किसी विषय के संबंध में भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के लिए या किसी ऐसे विषय के संबंध में जांच करने अथवा आंकड़े संग्रहीत करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई किसी समिति के (चाहे उसमें एक सदस्य या अधिक सदस्य हों) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अथवा सचिव का पद यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

अधिनियम संख्या  
43, 1951

(ड) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ज), खण्ड (झ), खण्ड (ञ), खण्ड (ट), खण्ड (ठ), या खण्ड (ड) में अमिदिष्ट किसी ऐसे निकाय से भिन्न किसी परिनियत या अपरिनियत निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ण) किसी ग्राम राजस्व अधिकारी का पद, चाहे उसे लम्बरदार, प्रधान सरग्रोह, मालगुजार, ग्राम सयाना, खात सयाना के नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, जिसका कार्य मालगुजारी वसूल करना हो और जिसे उसके द्वारा वसूल की गयी मालगुजारी का अंश या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाय, किन्तु जो पुलिस के किन्हीं कृत्यों को न करता हो;

(त) इंडियन सिक्वोरिटीज ऐक्ट, 1920 में यथा पारिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों या भारत सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं वचत प्रमाण-पत्रों की विक्री के लिए अथवा उसके अंशदानों के संग्रहण के लिए किसी एजेंट का (कमीशन पर या बिना कमीशन पर) पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय;

ऐक्ट संख्या  
10, 1920

(थ) संविधान के अनुच्छेद 31-क के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत बनाई गयी विधि के अन्तर्गत सीमित अवधि के लिये भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गयी किसी संपत्ति के प्रबन्ध के लामप्रद पद, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धृत हो जो इस प्रकार उक्त संपत्ति के अधिकार में लिये जाने के पूर्व से उसके प्रबन्ध के संबंध में सेवायोजित हो;

(द) कोई पद जो किसी विशेष कर्तव्य का पालन करने के लिए पूर्णकालिक पद न हो, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ध) पेंनेल के वकील का पद (जिसके अन्तर्गत 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 127-ख के अधीन नियुक्त कोई पेंनेल का वकील भी हो), यदि ऐसे पद का धारक किसी प्रतिधारण या वेतन, उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के लिए हकदार न हो;

(न) लेख्य-प्रमाणक या शपथ अधिकारी का पद या किसी न्यायालय या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा आदाता अथवा एमीकस क्यूरी का पद अथवा सरकारी आदाता किन्तु इसके अन्तर्गत सरकारी पारिसमापक का पद नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के पद के अन्तर्गत उसी प्रकार के सभी पद होंगे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए।

4—निम्नलिखित अधिनियम एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं:—

(1) दि यूनाइटेड प्रॉविंसेज लेजिस्लेटिव मेम्बर्स रिमूवल आफ डिस्कवालिफिकेशन ऐक्ट, 1940;

य० पी० ऐक्ट,  
संख्या 7, 1940

(2) उत्तर प्रदेश सभा सचिव (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1950;

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 2,  
1950 ई०

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1951 ई०;

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 19,  
1951

(4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1952;

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 4,  
1952

(5) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, 1952;

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 13,  
1952

(6) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1953;

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 20,  
1953

(7) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1954;

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 23,  
1954

(8) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1955;

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 16,  
1955

(9) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1956;

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 35,  
1956

(10) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1956।

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 3,  
1957

No. 3006/XVII—170-67

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Anarhata Nivaran) Adhiniyam, 1971 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1971) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 17, 1971.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971

(UTTAR PRADESH ACT NO. 15 OF 1971)

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

to declare that certain offices of profit under the Government shall, not disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, members of the State Legislature.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) "compensatory allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance, conveyance allowance, house rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office, such allowance in the case of daily allowance, house allowance or travelling allowance being not higher in rates and admissible on conditions more favourable than those applicable under a law for the time being in force made under Article 195 of the Constitution;

(b) "statutory body" means any corporation, committee, commission, council, board or other body of persons, whether incorporated or established by or under any law for the time being in force;

(c) "non-statutory body" means any body of persons other than a statutory body;

(d) "the State" means the State of Uttar Pradesh.

Certain offices of profit not to disqualify.

3. It is hereby declared that none of the following offices in so far as they are offices of profit under the Government of India or the State Government shall disqualify or be deemed ever to have disqualified the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the State Legislature, namely—

(a) the office of Minister of State or Deputy Minister, or of Parliamentary Secretary to a Minister, either for the Union or for the State;

(b) the office of a member of any force raised or maintained under the National Cadet Corps Act, 1948, the Territorial Army Act, 1948, or the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952;

(c) while a Proclamation of Emergency under Article 352 of the Constitution is in operation, the office of an officer, by whatever name called, of the Indian Army, the Indian Air Force or the Indian Navy, or of a Reserve Force, or of a member of any civil defence service;

(d) any office in the Home Guards constituted by or under any law for the time being in force or under the authority of the State Government;

(e) any office in a village defence party (by whatever name called) constituted by or under any law for the time being in force or under the authority of the State Government;

(f) the office of Chairman or a member of the syndicate, senate, executive committee, council or court of a University or any other body connected with a University or of the managing committee, by whatever name called, of any educational institution receiving aid out of State funds;

(g) the office of a member of any delegation or mission sent outside India by the Government of India or the State Government for any special purpose;

(h) the office of Chairman or Deputy Chairman of the State Evaluation Advisory Board in the Planning Department of the State Government;

(i) the office of the Chairman or a member of the Committee of management of a co-operative society nominated by the State Government under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965;

(j) the office of the Chairman or a member of the Irrigation Commission appointed by the State Government;

(k) the office of the Chairman or a member of the Labour Commission appointed by the State Government;

(l) the office of the Chairman or a member of the Pay Commission appointed by the State Government;

(m) the office of Chairman, Deputy Chairman or a member or Secretary of a committee (whether consisting of one or more members), set up temporarily for the purpose of advising the Government of India or the State Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(n) subject to the provisions of section 10 of the Representation of the People Act, 1951, the office of Chairman, Deputy Chairman, Director, member or Secretary of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (h), clause (i), clause (j), clause (k), clause (l), or clause (m), if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(o) the office of a village revenue officer, whether called *lambardar*, *pradhan*, *sargroh*, *malguzar*, village Siana, Khat Siana, or by any other name, whose duty is to collect land revenue and who is remunerated by a share of, or commission on, the amount of land revenue collected by him, but who does not discharge any police functions;

(p) the office of an agent (for commission or without commission), by whatever name called, for the sale of or for the collection of subscriptions towards Government Securities as defined in the Indian Securities Act, 1920, or any savings certificates issued by the Government of India;

(q) an office of profit in connection with the management of any property taken over by Government of India or the State Government for a limited period under a law made under sub-clause (b) of clause (l) of Article 31-A of the Constitution, when held by a person who was employed in connection with the management of that property before such taking over;

(r) any office, which is not a whole-time office, for the performance of any special duty, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance ;

(s) the office of a panel lawyer (including a panel lawyer appointed under section 127-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950), if the holder of such office is not entitled to any retainer or salary, by whatever name called ;

(t) the office of a Notary Public or Oath Commissioner, or a Commissioner or Receiver or *amicus curiae* appointed by any court or by the Collector or an Official Receiver but not including an Official Liquidator.

**Explanation**—For the purposes of this section, the office of Chairman, Deputy Chairman, or Secretary shall include every office of that description by whatever name called.

## 4. The following Acts are hereby repealed :

(1) the United Provinces Legislative Members Removal of Disqualifications Act, 1940;	U. P. Act VII of 1940.
(2) The Uttar Pradesh Parliamentary Secretaries (Removal of Disqualification) Act, 1950;	U. P. Act II of 1950.
(3) The Uttar Pradesh Legislature Members Prevention of Disqualification Act, 1951;	U. P. Act XIX of 1951.
(4) The Uttar Pradesh State Legislature Members Prevention of Disqualification Act, 1952;	U. P. Act IV of 1952.
(5) The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification) (Second) Act, 1952;	U. P. Act XIII of 1952.
(6) The Uttar Pradesh State Legislature Members Prevention of Disqualification (Supplementary) Act, 1953;	U. P. Act XX of 1953.
(7) The Uttar Pradesh Legislature Members (National Plan Loan) (Prevention of Disqualification) Act, 1954;	U. P. Act XXIII of 1954.
(8) The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification) Act, 1955;	U. P. Act XVI of 1955.
(9) The Uttar Pradesh State Legislature Members (Life Insurance) (Prevention of Disqualification) Act, 1956;	U. P. Act XXXV of 1956.
(10) The Uttar Pradesh State Legislature Members (Prevention of Disqualification), (Supplementary) Act, 1956.	U. P. Act III of 1957.

आज्ञा से,  
कैलाश नाथ गोयल,  
विशेष सचिव ।